अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ165( )ले.ब./परावि/पी.डी. शेष/2017-18/ 8560-61 जयपुर, दिनांकः 06-12-2017

मुख्य कार्यकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद-समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति-समस्त।

विषयः-बजट मद 2515 में पंचायती राज कार्मिकों एवं हैण्डपम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स के संवेतन एवं गैर संवेतन मद अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक व्यय किये जाने के कारण ऋणात्मक शेष के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों से बजट मद 2515 में पंचायती राज कार्मिकों एवं हैण्डपम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स के संवेतन एवं गैर संवेतन मद अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के व्यय की प्राप्त सूचनाओं में दिनांक 31.03.2017 को विभिन्न जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों द्वारा संवेतन एवं गैर संवेतन मद अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक व्यय कर ऋणात्मक शेष बताया गया है। जिसके संबंध में संबंधित को स्थिति स्पष्ट करने हेतु लिखा गया है। आवंटित निधियों से अधिक व्यय किया जाना वित्तीय एवं लेखा नियमों की अवहेलना है, जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन(सिविल-स्थानीय निकाय) वर्ष 2004-05 में समाविष्ट अनुच्छेद सं. 1.7.1(II) "आवंटित निधियों से अधिक व्यय" के संबंध में राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति (स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति) द्वारा लिए गये विभाग के साक्ष्य के दौरान आवंटित निधियों से अधिक व्यय किये जाने काफी गंभीरता से लिया गया है, भविष्य में आवंटित निधियों से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नही किये जाने की सुनिश्चितता किये जाने के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 188(458)परावि/लेखा/जलेस/सीएजीएलबी/सप्तम प्रति./2016-17/3294 दिनांक 07.03.2017 द्वारा भी लिखा गया है।

अतः मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को निर्देशित किया जाकर लेख है कि आवंटित निधियों से अधिक किये गये व्यय के संबंध में स्थिति स्पष्ट करे एवं भविष्य में आवंटित निधियों से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नही किया जाना सुनिश्चित करे। आवंटित से अधिक व्यय किये जाने की स्थिति में संबंधित कार्मिक(अधिकारी/कर्मचारी) की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

(नवीन महाजन)
वित्तीय सलाहकार